न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
016/2018 (GCMS 2018/00144)	04.06.2018	22.01.2021

अनवान

बाबुडी पुत्री दयाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी सिंगोला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकार

बनाम

1. लादुलाल पिता दयाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी सिंगोला तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत कांटी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कांटी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ ।

गैर निगराकार

–:: निगरानी ग्राम पंचायत कांटी द्वारा जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 01.06.2017 को निरस्त करने हेतु ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कांटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लादुलाल पिता दयाराम के नाम ग्राम सिंघोला आबादी क्षेत्र में स्थित मकान का बापी पट्टा जारी गत किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 9 में प्रार्थीया निवास करती है। प्रार्थीया ग्राम सिंघोला में ही रह रही है। विपक्षी उक्त जारी सुदा पट्टे वाले मकान में निवास नहीं करता है। न ही उसका हक अधिकार है अप्रार्थी कुए पर बने मकान में निवास करता है। प्रार्थीया अपने मकान में रह रही है। विपक्षी संख्या 1 के नाम विपक्षी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करने की जानकारी नहीं थी दिनांक 22.05.2018 को विपक्षी ने प्रार्थीया को धमकी दी कि मकान का पट्टा मेरे नाम बनवा लिया है अब अन्य व्यक्तिय को विक्रय कर दूंगा। तब प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत में जानकारी करने पर पट्टे की जानकारी हुई। विपक्षी संख्या 2 द्वारा बिना जांच किये बनावटी तौर पर विपक्षी संख्या 1 से मिली भगत से गलत व अवैध रूप से पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जारी करवा लिया जो निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि विपक्षी के नाम गलत पट्टा जारी किया गया जिसमें प्रार्थीया कई वर्षो से निवास कर रही है। विपक्षी संख्या 1 कभी भी उक्त मकान में नहीं रहा है। मात्र प्रार्थीया ही निवास कर रही है। ग्राम पंचायत बिना जांच किये गलत रूप से प्रार्थीया के आवासीय मकान का विपक्षी संख्या 1 के नाम गलत रूप से पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किया जावें। विपक्षी द्वारा ग्राम पंचायत से जारी पट्टे की कोई जानकारी नहीं थी लेकिन दिनांक 22.05.2018 की विपक्षी संख्या 1 द्वारा लडाई झगडा किया व मकान से बेदखल करने व अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी तथा कहा कि पट्टा मेरे नाम से पंचायत ने जारी कर रखा है तब ग्राम पंचायत से जानकारी के स्वामित्व निवासरत मकान का भी उनके नाम पट्टा जारी कर दिया है जो अवैध होकर निरस्त किया जावें। विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विपक्षी संख्या 2 द्वारा गलत पट्टा जारी किया गया है प्रार्थीगण के स्वामित्व व पैत्रिक पुश्तैनी का विपक्षीगण गलत पट्टा जारी किया गया है विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है इस कारण पट्टा खारीज फरमाया जावें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कांटी द्वारा जारी पट्टा संख्या 9 को निरस्त फरमाया जावे।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 21.01.2021 को अधिवक्ता निगराकर हाजिर नहीं आये इस पर सुनवाई का अवसर दिया गया। दिनांक 22.01.2021 को भी अधिवक्ता निगराकार हाजिर नहीं आये, न्यायालय समय समाप्ति तक अधिवक्ता निगराकार का इंतजार किया गया, किन्तु अधिवक्ता निगराकार हाजिर नहीं आयें। इस पर निगरानी प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर देखा गया। निगराकार गैर निगराकारान के प्रोपर तलबी करने में असफल रहे है। विगत लम्बे समय से पत्रावली तलबी में नियत चल रही है एवं निगराकार गैर निगराकारान की प्रोपर तलबी कराने में असफल रहें। इसके साथ ही हमने निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमों का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। निगराकार द्वारा निगरानी मेमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। निगराकार द्वारा मात्र प्रश्नगत पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है इसके साथ किसी भी प्रकार का और कोई रिकार्ड पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:45 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की गई है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि से अधीनस्थ न्यायायल ग्राम पंचायत कांटी द्वारा उक्त पट्टें को जारी किये जाने में किसी भी प्रकार से विधिक भूल की गई है, ऐसी अवधारणा किया जाना उचित नहीं है यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अदम पैरवी, अदम तकमील एवं अदम साक्ष्य खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही प्रार्थी निगराकार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कांटी द्वारा प्रश्नगत पट्टें का जारी किये जाने में किसी प्रकार की तात्विक भूल की हो यह तथ्य न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत नहीं है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को अदम हाजरी अदम पैरवी, अदम तकमील, अदम साक्ष्य एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में सुसंगत नहीं पाये जाने से गुणवगुण पर खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी गंगरार एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कांटी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **22.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:45 IST
Reason: SelfAttested